न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 19/2020

अनवान :

रामसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी नुंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सत्यवीर पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी नुंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान का0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री प्रभुराम गोदारा : वादी

निर्णय दिनांक : 17-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम नुंवा के खाता सं0 288/126 के खसरा सं0 19 की 1.088 है0, खसरा सं0 30/1 की 5.8300 है0, खसरा सं0 310 की 8.220 है0 कुल 15.1380 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 हरीसिंह के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 हरीसिंह वादी का पिता है तथा प्रतिवादी सं0 2 सत्यवीर, वादी का भाई है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का भी जन्म से हक निहित है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 हरीसिंह परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी रामसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 ता 3 प्रदर्शित करवाये गये। पत्राव[illegible] हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। [illegible] वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त [illegible] सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा [illegible] मुताबिक राजीनामा व[illegible] डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद ग्राम नुंवा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम नुंवा प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसके कॉलम नं0 14 में विरासतन की प्रविष्टि है तथा वाद भूमि वादी के दादा भगवाना वल्द लाधु की मृत्योपरांत उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में हरिसिंह के वारिसान में पत्नी विमला व दो पुत्र सत्यवीर एवं रामसिंह होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम नुंवा के खाता सं0 288/126 के खसरा सं0 19 की 1.088 है0, खसरा सं0 30/1 की 5.8300 है0, खसरा सं0 310 की 8.220 है0 कुल 15.1380 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 हरीसिंह के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/15–1/15 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/15–1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 19/2020

अनवान :

रामसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी नुंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सत्यवीर पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी नुंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभुराम गोदाराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम नुंवा के खाता सं0 288/126 के खसरा सं0 19 की 1.088 है0, खसरा सं0 30/1 की 5.8300 है0, खसरा सं0 310 की 8.220 है0 कुल 15.1380 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 हरीसिंह के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/15–1/15 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/15–1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

(मुकेश बारैठ) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner